

No. HQ/PIO/RTI/233/15

Date: 23.06.2015

**Sh. Shakti Singh Chauhan,**  
"Shakti Kunj", Near Railway Line,  
Subhash Nagar, H.No.24/18E,  
Byawar Road, Ajmer,  
Rajasthan, Pin-305001.




Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: 1. Your application dt.05.05.2015, received in this office on 11.06.2015.  
2. Your 1<sup>st</sup> appeal dated. 12.06.2015, received in this office on 19.06.2015.

उपरोक्त संदर्भित आरटीआई आवेदन पर संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

- 5(i) मांगी गई सूचना 12 सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (भू. अवाप्ति) से सम्बंधित है। अतः आप चाहें तो सीपीएम/अजमेर कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित रिकार्ड से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
- 5(ii) मांगी गई सूचना सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर से संबंधित है इसलिए आरटीआई एक्ट की धारा 6(3) के अंतर्गत उन्हें हस्तांतरित कि जा रही है। आपसे अनुरोध है कि आगे के पत्राचार के लिए सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के संपर्क में रहें।
- 5(iii) कई राज्यों में फैले डीएफसी प्रोजेक्ट के आकार और पैमाने को ध्यान में रखते हुए आपको सूचित किया जाता है कि DFCCIL के लिए भूमि अधिग्रहण के एवज में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर निहितार्थ और जटिलताएं हैं जो एक मुद्दा है और जिसपर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
- 5(iv) मांगी गई सूचना सीपीएम/अजमेर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
- 5(v) मांगी गई सूचना इस प्रकार है - बैंक संख्या 17623 यूनियन बैंक आफ इण्डिया।

आपकी उपरोक्त अपील के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है आपका आरटीआई आवेदन दिनांकित 05.05.2015 इस कार्यालय में 11.06.2015 को प्राप्त हुआ जिसका जवाब उपरलिखित है अतः अपील का निवारण किया जाता है।

  
(Umesh Kumar Varine)  
23/06/15  
GGM/Admn.

Copy to:-

- 1- पीआईओ/ सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर - Please find enclosed RTI application of Sh. Shakti Singh Chauhan, R/o Ajmer. As the item no. 2 of the application pertains to your jurisdiction, therefore the application is being transferred to you under section 6(3) of RTI Act for providing information regarding item no. 2 of the application and necessary action.
- 2- CPM/Ajmer

